तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

निर्णय **दिनांक :02.04.2019**

1. वकील सरकार श्रीमती पूनम माथुर व वकील रेस्पोडेन्ट श्री मनीष पाण्डिया को गत पेशी पर सुना गया था।

2. राज्य सरकार की ओर से बहस में बतलाया गया है कि मृतकगण हरीराम व चानण को अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के तहत घोषणा प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था किन्तु ऐसा घोषणा पत्र पेश नहीं होने पर अधिनियम की धारा 11 के तहत नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस की पालना में हरीराम के पौत्रगण रामप्रताप, रामेश्वर, प्रहलाद व कृष्णा पुत्रगण चानण ने घोषणा पत्र पेश किए थे। तत्पश्चात् उपखण्ड अधिकारी नोहर ने तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की तथा अप्रार्थीगण के पास 78 बीघा कमाण्ड व 18.16 बीघा अनकमाण्ड भूमि पाई गई थी। इस भूमि को कमाण्ड में परिवर्तित करने पर कुल 80.07 बीघा कमाण्ड भूमि बनती है। इनके परिवार की 04 पृथक इकाईयां होने से कार्यवाही समाप्त करने का आदेश दिया गया था। दिनांक 31–12–99 के उपखण्ड अधिकारी के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने प्रथम अपील अपर जिला कलेक्टर नोहर के यहां पेश की, जिसे अवैधानिक रीति से खारिज कर दिया गया। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य की तरफ ध्यान नहीं दिया कि निर्णय पारित करने से पूर्व परिवार के सदस्यों की संख्या एवं इकाईयों बाबत जांच किया जाना नितान्त आवश्यक होता है। केवलमात्र घोषणा पत्र के आधार पर मौजूदा केस में परिवार के सदस्यों की संख्या एवं इकाईयों का निर्धारण अवैधानिक रूप से किया गया है। अपर जिला कलेक्टर ने भूमिधारी के द्वारा धारित भूमि की विस्तृत जांच नहीं की तथा केवलमात्र तहसीलदार की रिपोर्ट को आधार मानकर निर्णय पारित किया गया है। हरीराम की मृत्यु वर्ष 1970 में हो गई थी फिर भी वर्ष 1973 की स्थिति को देखते हुए निर्णय पारित किया गया है। इसलिए प्रश्नगत दोनों निर्णय काबिले अपास्त हैं। अतः अपील स्वीकार की जाकर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रश्नगत आराजीयात को बहक सरकार रिज्यूम किया जाए। 3. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स ने उक्त दलीलों का विरोध किया व आक्षेपित दोनों निर्णय प्रत्येक बिन्दु पर विधिवत एवं एकमत होने से यह द्वितीय अपील खारिज करने का निवेदन किया है। 4. उक्त तर्को पर मनन किया गया। पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। 5. विद्वान विचारण न्यायालय ने अपना निर्णय रेस्पोडेन्ट्स के घोषणा पत्र के आधार पर पारित नहीं किया है बल्कि तहसील उपनिवेशन से रिपोर्ट प्राप्त करके किया है। पहले उसकी रिपोर्ट अधूरी व अस्पष्ट पाई गई थी फिर तहसीलदार रावतसर से पुनः रिपोर्ट तलब की गई थी। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री अनुसार दिनांक 26–9–1970 को रेस्पोडेन्ट्स के परिवार के पास 78बीघा कमाण्ड व 18.16 बीघा अनकमाण्ड रकबा पाया गया था। दिनांक 26–9–1970 से दिनांक 6–4–1973 को भी इतना ही रकबा इनके पास था व इनके परिवार की कुल 4 प्राथमिक इकाईयां थी। 6. उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय में यह भी अंकित किया है कि अनकमाण्ड एरिया को कमाण्ड में परिवर्तित करने पर इनके पास कुल 80.7 बीघा भूमि थी। चूंकि रावतसर को Semi desert एरिया माना गया है। इसलिए 1 बीघा कमाण्ड भूमि के बराबर 8 बीघा अनकमाण्ड भूमि बनती है। लिहाजा संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रेस्पोडेन्ट्स के परिवार की चारों इकाईयों के पास अधिकतम जोत सीमा से अधिक रकबा कतई नहीं बनता है। इन तमाम तथ्यों को देखते हुए सीलिंग कार्यवाही समाप्त की गई है। 7. उपखण्ड अधिकारी के इन निष्कर्षो की प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में पुष्टि की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में तथ्यों एवं विधि संबंधी कोई त्रुटि नहीं है। प्रकरण का निस्तारण राजस्व कर्मचारियों की रिपोर्ट प्राप्त करके किया गया है। इसके अलावा अन्य किस प्रकार की जांच की जा सकती थी, इसका कोई उल्लेख मीमों आफ अपील में नहीं किया गया है। अपीलांट की	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	ओर से ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं किया गया है कि रेस्पोडेन्ट्स के परिवार की इकाई इससे कम हो या इससे अधिक भूमि रेस्पोडेन्ट्स के धारण में हो। अतः इस द्वितीय अपील में विधि का कोई प्रश्न निहित नहीं है। 8. लिहाजा अपील खारिज की जाती है। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। **(राजेन्द्र कुमार)** **सदस्य**	